गाँधी मैदान, पटना में–

'गणतंत्र दिवस' (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर–
श्री फागू चौहान, महामहिम राज्यपाल, बिहार का अभिभाषण

भाइयो, बहनो एवं प्यारे बच्चो,

राष्ट्र के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको एवं समस्त बिहारवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

आज ही के दिन 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। संविधान द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त हमारे पथप्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

राज्य सरकार ने सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त पर राज्य के विकास के लिए सार्थक प्रयास किये हैं। विकास और कल्याण के पथ पर सभी क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा समावेशी एवं विकेन्द्रीकृत विकास की नीति अपनाई गई है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सुशासन के कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में लागू किये गये हैं।

बिहार में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है और यही व्यवस्था निरंतर जारी है। बिना किसी भेद–भाव के कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए अपराध–नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध 'जीरो टॉलरेन्स' की नीति पर राज्य सरकार की मुहिम जारी है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई निरन्तर की जा रही है। प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून के अंतर्गत अद्यतन 23 करोड़ 5 लाख आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू कर लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सफलता मिली है और नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। अब तक प्राप्त 6 लाख 67 हजार 152 आवेदनों में से लगभग 6 लाख 30 हजार से अधिक आवेदनों का समय–सीमा के भीतर निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है। राज्य के सरकारी सेवकों के शिकायतों के निवारण हेतु बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत उनकी शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने मानव–संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गईं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर पहुँच गयी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे बिहार में 'उन्नयन बिहार कार्यक्रम' चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के लिए 'स्मार्ट वर्गकक्ष' स्थापित कर छात्र/छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाते हुए इसे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 5 हजार 726 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो गया है तथा शेष पंचायतों में भी वर्ग 9 कक्षा की पढ़ाई अप्रैल, 2020 से आरंभ की जाएगी। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति हेतु 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग' का गठन किया गया है।

बिहारवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल एवं जिला अस्पताल एक क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं। इससे लोगों का विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या जो वर्ष 2006 में प्रतिमाह 39 थी, अब बढ़कर प्रतिमाह लगभग 10000 तक पहुँच गयी है। अब स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में विशिष्ट चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर काम किया जा रहा है ताकि लोगों को राज्य में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके। पी०एम०सी०एच० को 5462 बेड, आई०जी०आई०एम०एस० तथा एन०एम०सी०एच०, एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर को 2500 बेड तथा ए०एन०एम०सी०एच० (अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल), गया को 1500 बेड करने की योजना है।

बिहार की 89 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती हैं और 76 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं कृषि –आधारित कार्यों पर आश्रित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा 'कृषि रोड मैप' बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की बदौलत कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुँचाने के संकल्प को नई दिशा मिली है।

जलवायु–परिवर्तन का राज्य की खेती पर भी असर पड़ रहा है। इस समस्या के आने वाले दिनों में और भी अधिक गहराने की आशंका को देखते हुये मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके अंतर्गत मौसम के अनुकूल फसल–चक्र के विकास, वैकल्पिक फसलों एवं फसल–उत्पादन की नई तकनीकों के उपयोग तथा किसानों को इससे संबंधित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

फसल अवशेष (पराली) को खेतों में जलाना बिहार में भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण फसल कटनी में कम्बाइन–हार्वेस्टर का उपयोग है। फसल अवशेष जलाने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए फसल–अवशेष–प्रबंधन में सहायक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है तथा फसल–अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव एवं प्रबंधन के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

आधारभूत संरचनाओं का विस्तार बिहार के कोने–कोने तक हुआ है। बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, अब राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने के लक्ष्य पर कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। नई आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ राज्य में उच्च पथों, वृहद जिला पथों तथा ग्रामीण पथों का भी अनुरक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही इन पथों के संधारण को 'लोक शिकायत निवारण अधिनियम' के दायरे में लाया गया है ताकि लोगों को अपने सड़कों का अनुरक्षण करवाने का अधिकार दिया जा सके। अब सरकार की नीति है कि चाहे सड़क हो या पुल अथवा भवन सभी के निर्माण के साथ 'मेंटेनेंस' की भी व्यवस्था साथ में लागू की जायेगी।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। गाँव एवं शहरों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ गाँव एवं शहरों तक पहुँची हैं, अब यह सुविधा सभी घरों को सुलभ करायी जा रही है।

सरकार ने 'आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार' के तहत राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था फरवरी, 2016 से ही लागू कर दी है।

बिजली के सभी क्षेत्रों में, यथा– उत्पादन, संचरण, वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। 'हर घर बिजली' निश्चय के तहत राज्य के हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में कृषि कार्य हेतु 1312 पृथक् फीडरों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्व 1119 का निर्माण किया जा चुका है और शेष का कार्य जारी है। यह बिजली में हुए सुधार का ही नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहाँ 700 मेगावाट थी, वह अब बढ़कर 5 हजार 891 मेगावाट से अधिक हो गयी है।

'हर घर नल का जल' के तहत शहर एवं गाँवों के सभी घरों में नल का जल तथा 'घर तक पक्की गली–नालियाँ' निश्चय के तहत सभी घरों तक पक्की नली गली का निर्माण भी इस वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। 'टोला सम्पर्क निश्चय योजना' के तहत सम्पर्क विहीन टोलों को इस वर्ष पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' के अन्तर्गत इस वर्ष तक पूरे बिहार को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है।

बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल –विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए सक्षम बनाने के लिए 'आर्थिक हल, युवाओं को बल' निश्चय के तहत 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना', 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' एवं 'कुशल युवा कार्यक्रम' को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 319 सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रूपए के 'वेंचर कैपिटल फंड' का प्रावधान एवं 'इन्क्यूबेशन सेन्टर' की स्थापना की गयी है।

'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' निश्चय के तहत प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेकनिक संस्थान, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान तथा प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ए.एन.एम. संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में 11 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है तथा सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े एवं पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा बच्चों की शिक्षा, कौशल एवं आर्थिक विकास पर बल देते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और यह सरकार की नीतियों का अभिन्न अंग है। राज्य में ''महिला सशक्तीकरण नीति'' लागू की गई है। 'जीविका' कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें अब तक लगभग 9 लाख 13 हजार 'स्वयं सहायता समूहों' का गठन कर लगभग 1 करोड़ 9 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पर आधारित ''मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना'' आरंभ की गई है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग तथा अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवार, जो हाशिए पर हैं तथा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार को आजीविका के साधन, क्षमता के निर्माण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'सतत जीविका–उपार्जन–योजना' लागू की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों की आधारभूत संरचना तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। अनेक नये छात्रावासों का भी निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वैसे सभी छात्रावास, जिनका भवन जर्जर हो गया है, उनके स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नये भवन का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन तीनों विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी 1000 रू० प्रतिमाह की दर से ''छात्रावास अनुदान'' तथा 15 किलो ''मुफ्त खाद्यान्न'' प्रतिमाह दिया जा रहा है।

'सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना' के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पचास हजार रू0 एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार पूर्व से छात्रवृति, मेधावृति, शिक्षा ऋण, रोजगार ऋण, कौशल विकास, परित्यक्ता सहायता, कोचिंग आदि योजनाओं का सफल संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए मदरसा बोर्ड से फोकानिया परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 10 हजार रूपये एवं मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रोत्साहन–राशि दी जा रही है।

'मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना' की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी जिलों में ''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना'' तथा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु ''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना'' एवं वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कर उसमें कार्यालय, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, कौशल–विकास–केन्द्र, कोचिंग सेन्टर आदि की व्यवस्था करने हेतु ''बिहार राज्य वक्फ़ विकास योजना'' का संचालन किया जा रहा है।

जिन लोगों का नाम 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' से छूट गया है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के वैसे लाभुक, जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1996 के पूर्व समूहों में सरकारी योजनाओं के तहत आवास का निर्माण कराया गया था, जो अब टूट गया है, वैसे लोगों के लिए ''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना'' लागू की गई है और इसके अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार की सहायता राशि दी जा रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वास भूमि क्रय हेतु ''मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना'' लागू की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास तथा लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना'' लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के 3 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 2 अतिपिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को योग्य वाहनों के खरीद पर क्रय–मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम एक लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार वृद्धजनों के कल्याण के लिए भी तत्पर है और उनके लिए 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' लागू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद सभी आय–वर्ग की सभी महिलाओं एवं पुरूषों, जिन्हें कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं है, को पेंशन दिया जा रहा है।

राज्य सरकार भू–विवादों के समाधान के लिए सचेष्ट है। पारिवारिक बटवारे के निबंधन के लिए राज्य सरकार ने 'स्टाम्प शुल्क' को घटाकर मात्र 50 रूपये तथा निबंधन शुल्क को भी घटाकर 50 रूपये किया है। अब लोग अपने पारिवारिक बँटवारे का निबंधन सांकेतिक खर्चे पर करा रहे हैं।

बिहार देश का बहु–आपदा प्रवण राज्य है। राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को राहत एवं बचाव का हरसंभव मदद पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन–प्रक्रिया गठित कर, 'आपदा–रिस्पांस' में मानदंड स्थापित करने में बिहार देश का अग्रणी राज्य है।

गत वर्ष जुलाई महीने में भारी वर्षा के कारण उत्तर बिहार के 13 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गये। उसके बाद बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हो गये। पुनः सितम्बर महीने में राज्य में हुए भारी वर्षापात के कारण गंगा एवं इसकी कुछ सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण 16 जिला के लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहाय्य राशि एवं सूखे से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता राशि दी गई है। अब तक बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित सभी 43 लाख 38 हजार 117 परिवारों को कुल 2298.21 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। साथ ही सूखे के कारण खरीफ मौसम में खेती नहीं कर पाने वाले तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति वाले किसानों की सहायता के लिए 'कृषि इनपुट अनुदान' हेतु 772.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और अब तक 4.4 लाख किसानों को 205.32 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण कर दिया गया है। राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा–पीड़ितों का है। इस संकल्प के तहत राज्य सरकार आपदा–पीड़ितों को मदद मुहैया कराने के लिए हमेशा तैयार है।

इन दिनों जलवायु–परिवर्तन सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। पूर्व में पर्यावरण भी संतुलित था, नदियों का जल भी साफ था, आबादी भी कम थी। धीरे–धीरे आबादी बढ़ती गई, विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ। इस विकास का हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ा है। इसका असर 'ग्लोबल वार्मिंग' एवं जलवायु–परिवर्तन के रूप में दिखने लगा है, जिससे कहीं असमय वर्षा, कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़ की समस्या, आँधी–तूफान की बढ़ती तीव्रता जैसी समस्याएँ दिख रही हैं। मानसून पैटर्न बदल रहा है। बिहार में भी कम और अनियमित वर्षापात, वर्षा में लंबा अंतराल तथा अचानक भारी वर्षा जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के हालात का सामना करना पड़ रहा है। अल्प वर्षापात के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2019 में दक्षिणी बिहार के जिलों के साथ उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भी जल स्तर में गिरावट आयी।

जलवायु–परिवर्तन से उत्पन्न इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2019 से 'जल–जीवन–हरियाली' अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 24 हजार 524 करोड़ रुपये की योजनाओं का मिशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इसके अनुश्रवण एवं परामर्श की संस्थागत व्यवस्था की गई है। 'जल–जीवन–हरियाली' अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक जल–स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराना, जल–स्रोतों एवं कुँओं का जीर्णोद्धार करना, सोख्ता–निर्माण, नये जल–स्रोतों का सृजन, जल–संरक्षण हेतु चेक डैम निर्माण, सरकारी भवनों पर छत–वर्षा जल–संचयन, मौसम अनुकूल कृषि, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा पर जोर तथा जागरूकता अभियान शामिल है। 'जल–जीवन–हरियाली' जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत 19 जनवरी, 2020 को राज्य में 18 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी मानव शृंखला बनी, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। पर्यावरण–संरक्षण के समर्थन में बनी यह ऐतिहासिक मानव शृंखला विश्व में किसी भी मुद्दे पर बनी, अब तक की सबसे लम्बी मानव शृंखला है। यह शृंखला नशा–मुक्ति के पक्ष में तथा दहेज–प्रथा एवं बाल–विवाह के खिलाफ में भी थी। इसके माध्यम से बिहार की जनता ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया है।

सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे। 'गणतंत्र दिवस' के शुभ अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि उन्नत बिहार के साथ–साथ समाज–सुधार हेतु प्रतिबद्ध तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक बिहार बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें। 'गणतंत्र–दिवस' के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिन्द!

जय हिन्द!!

जय हिन्द!!!

***